राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप.1(16)साप्र/5/2013 जयपुर, दिनांकः 4-9-2013

समस्त संभागीय आयुक्त/
समस्त जिला कलक्टर/
राजकीय आवास आंवटन अधिकारी
राजस्थान ।

प्रबन्धक,
समस्त विश्राम भवन,
राजस्थान ।

प्रबन्धक,
राजस्थान हाउस,
नई दिल्ली ।

विषयः– स्थानान्तरण पर आवास सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार लेख है कि स्थानान्तरण पर आवास व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना की जाना सुनिश्चित करावें:–

1. विश्राम भवन में प्रवास करने वाले अधिकारी प्रवास अवधि तीन सप्ताह से अधिक होने पर उनसे यह जानकारी प्राप्त कर ली जावें कि यदि उन्हें एक माह से अधिक प्रवास करना है तो संलग्न आवेदन प्रपत्र में अपनी टिप्पणी के साथ इस विभाग को आवश्यक रूप से समयावधि में प्रेषित करावें ।

2. निर्धारित अवधि समाप्त होने से पूर्व ही समयावधि में वृद्धि का आवेदन प्राप्त कर अपनी टिप्पणी सहित इस विभाग को भिजवावें ।

3. विश्राम भवन, जयपुर/राजस्थान हाउस, नई दिल्ली के अतिरिक्त शेष विश्राम भवनों में प्रवास किसी भी स्थिति में दो माह पश्चात् बिना अनुमति तथा आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के उपरान्त प्रवास की रियायती दर पर सुविधा नहीं दी जावें ।

4. निर्धारित अवधि की अनुमति उपरान्त नियमानुसार दर चार्ज की जावें ।

उपरोक्त सूचनाओं के साथ ही प्रार्थी के लिये यह भी आवश्यक होगा कि एक माह से अधिक यदि वह स्थानान्तरण की आवश्यकता बतायें तो संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/राजकीय आवास आंवटन अधिकारी से संलग्न आवेदन पत्र को अग्रेषित करवाकर संबंधित प्रबन्धक विश्राम भवन के माध्यम से इस विभाग को भेंजें ।

भवदीय,

मु. शर्मा
4/9/13

(मुन्नालाल शर्मा)
सहायक शासन सचिव

प्रपत्र–1

स्थानान्तरण होकर आने वाले अधिकारियों के लिए विश्राम भवन में आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र–

प्रेषितः–

प्रमुख शासन सचिव
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5)विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

मै विश्राम भवन.................................... में आवास हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता/करती हूँः–

1. नाम ....
2. पदनाम ....
3. विभाग का नाम ....
4. पदस्थापित स्थान ....
5. पे–बेन्ड नं. एवं वेतनमान ....
6. ग्रेड–पे नं. एवं वेतनमान ....
7. कार्यभार संभालने की तिथि ....
8. विश्राम भवन में प्रथम आवास तिथि ....
9. आवास वृद्धि हेतु वांछित अवधि ....
10. यदि पूर्व में अवधि वृद्धि की गई हो तो उसकी प्रति संलग्न करें। ....
11. क्या ट्रांजिट हॉस्टल/नियमित राजकीय आवास आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है? ....
12 यदि हॉ तो विवरण दें (वरियता क्रमांक एवं दिनांक) ....
13. मकान किराया भत्ता आहरित किया जा रहा है अथवा नहीं? ....

प्रार्थी के हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय
टेलीफोन नं.

श्री..को अभी तक राजकीय आवास आंवटित नहीं किया गया है ।

संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर/
राजकीय आवास आंवटन अधिकारी

श्री...को विश्राम भवन:.................................
....मे दिनांक ....से.............................. तक रियायती दर पर(स्थानान्तरण पर) आवास/भोजनादि की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की अभिशंषा की जाती है ।

प्रबन्धक,

विश्राम भवन,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,